

**फार्म**  
**अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 23**

जहाँ नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष \_\_\_\_\_

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम राकेश कुमार सराह 2. वर्तमान धारित पद परिवह परीक्षक 3. कार्यालय का नाम सहायक 220 के 0 एडी  
4. वर्तमान वेतन \_\_\_\_\_ 5. भविष्य निधि क्रमांक \_\_\_\_\_ 6. कर्मचारी संख्या 3433-विदि-11

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
लॉकर विदि 211	सुराह 30x40 sq.ft.	सुराह 20x10 sq.ft.	12 लाख	मिलि प्रॉपर्टी कर्पोरेशन के माध्यम से	1000/- रु. की मासिक बिलिंग द्वारा 2001 में अर्जित किया विदि 211, 212 विदि 213, 214 विदि 215, 216 विदि 217, 218	निरत	-
do	सुराह 22x35 sq.ft.	सुराह 20x10 sq.ft.	20 लाख	do	do	निरत	-

हस्ताक्षर [Signature]  
नाम राकेश कुमार सराह  
पद परिवह परीक्षक  
220 के 0 एडी 3433-विदि-11

- \* जहाँ लागू न हो काट दीजिए
- \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लक्षित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।

इस कार्यालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।